



राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय : 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर-302001
संरक्षक : सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोष चन्द्र सुराणा, श्यामसुन्दर शर्मा, चौथमल सनाढ्य, राजनारायण शर्मा
(Regd. & Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, E.I. & RRKM)

प्रहलाद शर्मा अध्यक्ष मो. 94140-56109	देवलाल गोचर सभाध्यक्ष मो. 94144-03756	अरविन्द व्यास महामंत्री मो. 94143.96596
---	---	---

महावीर प्रसाद सिंघल
प्रदेश संगठन मंत्री

26, बोहरा कॉलोनी,
केकड़ी जिला अजमेर
मो. 9413135215

क्रमांक : 28

दिनांक : 30.07.2018

चुनाव विज्ञप्ति

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) की विधान की धारा 28 (क) के अन्तर्गत समस्त उपशाखाओं/जिला शाखाओं के सत्र 2018-2019 में होने वाले निर्वाचनों के लिए आवश्यक निर्देशों सहित चुनाव विज्ञप्ति प्रसारित की जाती है। इसमें संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार संयोजक, निर्वाचन समिति को होगा।

निर्वाचन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश

1. सभी उपशाखाओं में 31 अगस्त 2018 तक की सदस्यता ही निर्वाचन हेतु मान्य होगी।
2. उपशाखाओं के चुनाव 31 अक्टूबर 2018 को एवं जिला शाखाओं के चुनाव 30 नवम्बर 2018 तक सम्पन्न कराये जावेंगे।
3. प्रकाशित निर्वाचन तिथि एवं स्थान में परिवर्तन, संयोजक, निर्वाचन समिति की लिखित स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकेगा। निर्धारित तिथि तक चुनाव नहीं हो सकने की स्थिति में स्थाई समिति का निर्णय मान्य होगा।
4. उपशाखाओं के निर्वाचन उपशाखा मुख्यालयों तथा जिला निर्वाचन जिला मुख्यालय पर कराये जायेंगे।
5. सम्बन्धित उपशाखा के अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष 09 सितम्बर 2018 तक निर्धारित प्रारूप में सदस्यता सूची तैयार कर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास 5 प्रतियों में उपशाखांश, जिलांश व प्रान्तांश के ड्राफ्ट सहित भेजेंगे।
6. जिला निर्वाचन अधिकारी 16 सितम्बर 2018 को प्रांतीय कार्यालय जयपुर में संयोजक चुनाव समिति एवं प्रदेश संगठन मंत्री/कोषाध्यक्ष को खाली-भरी रसीद बुक, पांच प्रतियों में मतदाता सूचियाँ, उपशाखावांश, जिलांश एवं प्रांतांश के ड्राफ्ट जमा करवायेंगे। तत्पश्चात् प्रदेश संयोजक चुनाव समिति के हस्ताक्षर मतदाता सूचियों पर करवाकर, अपने हस्ताक्षर से चुनाव विज्ञप्ति जारी करेंगे।
7. मतदाता सूची का प्रकाशन दिनांक 23.09.2018 को किया जावेगा। मतदाता सूची में आपत्ति संयोजक चुनाव समिति/प्रदेश संगठन मंत्री के पास की जा सकेगी। अन्तिम मतदाता सूची निर्वाचन तिथि को प्रकाशित कर दी जायेगी। मतदाता सूची प्रांतीय कार्यालय, जयपुर/प्रदेश संयोजक चुनाव समिति एवं प्रदेश संगठन मंत्री सहित जिलाध्यक्ष/जिलामंत्री/उपशाखाध्यक्ष/उपशाखामंत्री एवं उपशाखा कोषाध्यक्ष के पास देखी जा सकेगी और 2 रु. प्रति पेज शुल्क देकर प्रति प्राप्त की जा सकती है। चुनाव अधिकारी को मतदाता सूची में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा।
8. सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले की सम्पूर्ण उपशाखाओं के निर्वाचन करारकर सभी उपशाखाओं की मतदाता सूचियाँ एवं निर्वाचन परिणाम की एक-एक प्रति जिला निर्वाचन के उपरान्त नव निर्वाचित जिला मंत्री को सम्भलायेंगे एवं समस्त चुनाव परिणाम एवं शिक्षक सन्देश की राशि मय सूची प्रदेश निर्वाचन अधिकारी को जमा करायेंगे।
9. उपशाखाओं/जिला शाखाओं के निर्वाचन की विज्ञप्ति सम्बन्धित उपशाखा/जिला शाखा के अध्यक्ष/मंत्री से विचार-विमर्श कर निर्वाचन तिथि से सात दिन पूर्व समाचार पत्रों/शिक्षक सन्देश में प्रकाशित करायेंगे तथा

- एक-एक प्रति प्रदेश कार्यालय, प्रदेश सह-संगठन मंत्री, संभाग संगठन मंत्री, उपाध्यक्ष, जिला संगठन मंत्री, अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष तथा संयोजक, निर्वाचन समिति को भेजेंगे।
10. निर्वाचन अधिकारी/पर्यवेक्षक सम्बन्धित शाखा में चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
 11. उपशाखाओं के निर्वाचन से पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त उपशाखाओं के नियुक्त चुनाव अधिकारियों की बैठक आहूत कर चुनाव सम्बन्धी समस्त दिशा निर्देश प्रदान करेंगे एवं उपशाखाओं के निर्वाचन की सामग्री यथा- मतदाता सूची, नामांकन फार्म, चुनाव परिणाम प्रपत्र, शिक्षक सन्देश की रसीद बुके, उपशाखाओं के ड्राफ्ट चुनाव अधिकारी को देंगे एवं उपशाखा निर्वाचन अधिकारी अपनी उपशाखा की चैकबुक, पासबुक, कैशबुक, बाउचर फाईल, एफ.डी. व अन्य सभी पत्रावलियाँ चुनाव से पूर्व प्राप्त कर निर्वाचन सम्पन्न होने के पश्चात् नव निर्वाचित सम्बन्धित पदाधिकारी को सम्भलवाकर रसीद प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार जिला निर्वाचन अधिकारी भी जिला निर्वाचन से पूर्व सम्बन्धित जिले से चैकबुक, पासबुक, बाउचर फाईल, कैशबुक, एफ.डी. व अन्य सभी पत्रावलियाँ प्राप्त कर चुनाव सम्पन्न होने के पश्चात् सम्बन्धित नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सम्भलवाकर रसीद प्राप्त करेंगे।
 12. जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कोषाध्यक्ष, जिला संगठन मंत्री का सहयोग लेकर उपशाखा एवं जिले की केश-बुक का आन्तरिक अंकेक्षण भी निश्चित रूप से करेंगे।
 13. सभी पदों के लिए पृथक-पृथक नामांकन पत्र भरा जावेगा। नामांकन पत्र 10/- प्रति प्रपत्र जमा करवाकर निर्वाचन के दिन निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त कर सकेंगे।
 14. उपशाखा निर्वाचन में प्राप्त नामांकन प्रपत्र शुल्क की राशि जिला शाखा में तथा जिला निर्वाचन में प्राप्त राशि प्रदेश कोष में जमा करानी होगी। उपशाखाओं के निर्वाचन अधिकारी/पर्यवेक्षक का यात्रा व्यय जिला शाखा से तथा जिला निर्वाचन अधिकारी/पर्यवेक्षक का यात्रा व्यय प्रदेश कोष से देय होगा।
 15. उपशाखा अध्यक्ष, मंत्री, महिला मंत्री, जिला महासमिति, प्रदेश महासमिति के प्रत्याशियों एवं गत सत्र के निर्वाचित जिला व प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों को शिक्षक संदेश का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
 16. शिक्षक संदेश की राशि का ड्राफ्ट "शिक्षक संदेश प्रकाशन ट्रस्ट, जयपुर" के नाम से बनाकर निर्वाचन सम्पन्न होने के तीन दिन बाद आवश्यक रूप से सदस्यों के घर के पतों की सूची के साथ प्रान्तीय कार्यालय, जयपुर भेज दे। इसकी एक प्रति जिला संगठन मंत्री को भी भेजें। निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन रिकॉर्ड जमा कराते समय शिक्षक संदेश की राशि/ड्राफ्ट साथ में देंगे तभी निर्वाचन वैध माना जावेगा।
 17. उपशाखा के निम्न पदों के चुनाव कराये जायेंगे - सभाध्यक्ष, उपसभाध्यक्ष- दो पद, अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष पुरुष, उपाध्यक्ष महिला, मंत्री, महिला मंत्री, कोषाध्यक्ष एवं सदस्य - प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य, प्रथम वेतन श्रृंखला, द्वितीय वेतन श्रृंखला, तृतीय वेतन श्रृंखला, पंचायत समिति शिक्षक, संस्कृत शिक्षा, शारीरिक शिक्षक, महिला शिक्षा, प्रबोधक, प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालयाध्यक्ष, निजी शिक्षण संस्था एवं सेवानिवृत्त शिक्षक सदस्य।
 18. उपशाखा निर्वाचन के समय उपशाखा की कुल सदस्यता के चार प्रतिशत के अनुसार जिला महासमिति सदस्य एवं कुल सदस्यता के एक प्रतिशत के अनुसार प्रदेश महासमिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।
 19. जिला शाखा में निम्न पदों के चुनाव कराये जायेंगे - सभाध्यक्ष, उपसभाध्यक्ष -दो पद, अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष पाँच (पुरुष,महिला,माध्यमिक,प्राथमिक एवं संस्कृत विभाग एक-एक), मंत्री, अतिरिक्त जिला मंत्री, महिला मंत्री, सचिव माध्यमिक, प्राथमिक, संस्कृत के 1-1 पद, कोषाध्यक्ष एवं सदस्य - प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य, प्रथम वेतन श्रृंखला, द्वितीय वेतन श्रृंखला, तृतीय वेतन श्रृंखला,पंचायत समिति शिक्षक, संस्कृत शिक्षा, सेवानिवृत्त, शारीरिक शिक्षक, महिला शिक्षक, प्रबोधक, महाविद्यालय शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालयाध्यक्ष, निजी शिक्षण संस्था सदस्य के चुनाव होंगे।
 20. मतदान होने की स्थिति में चुनाव अधिकारी द्वारा मतदाताओं से पहचान पत्र मांगने पर उपलब्ध कराना होगा।
 21. मतदाता सूची प्रस्तुत करते समय सम्बन्धित अध्यक्ष/मंत्री को अण्डर टेकिंग देंगे कि उनकी उपशाखा की मतदाता सूची में शामिल निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षक की योग्यता रखते हैं तथा कार्यरत विद्यालय मान्यता प्राप्त है।
 22. राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के विधान अनुसार उपशाखा/जिलाशाखा एवं प्रदेश की कार्यकारिणी के निर्वाचित किसी भी पद पर लगातार 5 वर्ष से अधिक कोई भी व्यक्ति निर्वाचित नहीं हो सकेगा। अतः 5 वर्ष तक लगातार एक ही पद पर रहे प्रत्याशी का नामांकन पत्र उस पद के लिये स्वतः ही निरस्त योग्य होगा।
 23. वर्तमान उपशाखा एवं जिलाशाखा के अध्यक्ष, मंत्री एवं कोषाध्यक्ष या अन्य के पास किसी प्रकार का चार्ज यथा कैशबुक, चैकबुक, पासबुक, वाउचर फाईल, एफ.डी.आर. है तो उसे निर्वाचन अधिकारी को नामांकन पत्र भरने से पूर्व जमा कराना होगा अन्यथा बकाया की पुष्टि होने पर नामांकन निरस्त किया जा सकेगा।
 24. प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र स्वयं उपस्थित होकर निर्वाचन अधिकारी को जमा करवायेगा तथा चुनाव अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर करेगा।
 25. उपशाखा एवं जिले को आवंटित की गयी रसीद बुकों के आधार पर ही उस उपशाखा एवं जिले की सदस्यता मानी जायेगी यथा-उपशाखा से उपशाखा एवं जिले से जिले में स्वयं के आधार पर आदान-प्रदान की गयी रसीद बुकों की

- सदस्यता किसी भी उपशाखा में नहीं जोड़ी जायेगी परन्तु विवाद की स्थिति में प्रदेश निर्वाचन अधिकारी का निर्णय मान्य होगा।
26. निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्याशी को गत तीन सत्रों का राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) का लगातार सदस्य होना अनिवार्य होगा।
 27. जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन परिणाम निर्वाचित पदाधिकारी के कार्यस्थल व घर के पते तथा दूरभाष नं. सहित संयोजक प्रदेश निर्वाचन समिति, सम्पादक शिक्षक संदेश, महामंत्री कार्यालय एवं सम्बंधित प्रदेश उपाध्यक्ष को निर्वाचन के पश्चात् तीन दिन में आवश्यक रूप से भेजेंगे।
 28. यदि किसी सदस्य के पास शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) की किसी प्रकार की राशि, खाली भरी रसीद बुके एवं अन्य बकाया होना प्रमाणित होता है तो वह चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। परन्तु 15 सितम्बर 2018 तक बकाया की सूचना प्रदेश संगठन मंत्री के पास अवश्य भेजे। निर्वाचन पश्चात भी प्रमाणित होने पर निर्वाचन निरस्त किया जा सकेगा।
 29. निर्वाचन संबंधी किसी भी वाद की अपील प्रभावित व्यक्ति ही अपने नाम से व्यक्तिगत रूप से निर्धारित प्रारूप में संयोजक न्यायाधिकरण को चुनाव तिथि से पन्द्रह दिवस में करनी होगी। 501/- (पाँच सौ एक रुपये) का बैंक ड्राफ्ट "राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)" के नाम अपील के साथ संलग्न कर संयोजक न्यायाधिकरण को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाते हुए प्रति न्यायाधिकरण सदस्यों, महामंत्री तथा संयोजक निर्वाचन समिति को भेजना अनिवार्य है। सामूहिक हस्ताक्षरयुक्त अपील मान्य नहीं होगी। अपील का निर्धारित प्रारूप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं। न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा

अन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन	: चुनाव तिथि के दिन प्रातः 8.00 बजे
नामांकन प्रस्तुत करना	: चुनाव तिथि के दिन प्रातः 10.00 बजे से 12.00 तक
प्रत्याशियों की प्रथम सूची का प्रकाशन	: चुनाव तिथि के दिन दोपहर 12.30 बजे तक
नामांकन फार्म की जाँच एवं नाम वापस लेना	: चुनाव तिथि के दिन दोपहर 1.30 बजे तक
प्रत्याशियों की अन्तिम सूची का प्रकाशन	: चुनाव तिथि के दिन दोपहर 2.00 बजे तक
मतदान यदि आवश्यक हुआ	: चुनाव तिथि के दिन दोपहर 2.30 बजे से 4.00 बजे तक
मतगणना व चुनाव परिणाम	: मतदान के तुरन्त बाद

विशेष :- चुनाव अधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम में आंशिक संशोधन कर सकेंगे।


दिनांक : 30.07.2018



(महावीर प्रसाद सिंघल)
संयोजक
प्रदेश चुनाव समिति
राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

सत्र 2018-19 के लिए निर्वाचन अधिकारी

क्र.सं.	जिला	निर्वाचन अधिकारी का नाम	पता	दूरभाष
1	जयपुर प्रथम	श्री चंचल कुमार शर्मा	2-द-14, अमर कॉटेज, काला कुआं, हाउसिंग बोर्ड, अलवर	94146-41299
2	जयपुर द्वितीय	डॉ. अरुणा शर्मा	68/283 सैक्टर 6, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर	97999-96989
3	अलवर प्रथम	श्री नवीन कुमार शर्मा	मु. पो. कालाडैरा वाया चौमूँ, जयपुर-303801	94143-62198
4	अलवर द्वितीय	श्री ताराशंकर शर्मा	85, मिथिला विहार-2, मनोहरपुरा, जगतपुरा, जयपुर	95301-67807
5	दौसा	श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा	249-ए, पदमावती कॉलोनी, ओम होटल के पीछे, किंग्स रोड़, जयपुर	93145-04542
6	भरतपुर	श्री अजय शर्मा	99, इन्द्रा कॉलोनी, बजरिया, सवाईमाधोपुर	94602-54699
7	धौलपुर	श्री रमाशंकर शर्मा	नगर पालिका के पास, धौलपुर, राजस्थान	94145-83749
8	करौली	श्री बजरंग लाल गुर्जर	ग्राम-बाढ़ टटवाड़ा, पो.नारायणपुर टटवाड़ा, तह0-गंगापुर सिटी, जि.सवाई माधोपुर	98289-94824
9	सवाई माधोपुर	श्री ओमप्रकाश यादव	मं.नं. 105/74, प्रताप नगर, हाउसिंग बोर्ड, जयपुर	94142-29067
10	अजमेर	श्री श्रीनिवास शर्मा	बी-14 प्रेम कॉलोनी, सूर्य नगर, तारों की कूट के पास, टॉक रोड़, जयपुर	94140-69235
11	भीलवाड़ा	श्री महावीर प्रसाद वर्मा	दरी मौहल्ला, नसीराबाद, जिला अजमेर	99285-76085
12	ब्यावर	श्री दिनेश भट्ट	44, मुरली टावर, पुर रोड़, भीलवाड़ा (राज.)	94602-00279
13	नागौर	श्री कैलाशचन्द कच्छावा	968, बसंत विहार कॉलोनी, नया बाड़ा, पुलिस लाईन, अजमेर-305001	94143-79001 94609-00999
14	डीडवाना	श्री सुरेश चौहान	सूरज विला, शास्त्री नगर, अजमेर रोड़, केकड़ी	94131-35081
15	टोंक	श्री भंवर सिंह राठौड़	रेल्वे फाटक के पास, बाडिया, आदर्श नगर, अजमेर	97828-46674
16	कोटा	श्री घनश्याम नागौरिया		
17	बून्दी	श्री ओमप्रकाश शर्मा	6-ए-22, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा	94608-52780
18	बारां	श्री दिलीप मित्तल	मं.नं. 38, कनक रेजीडेन्सी, खानपुर रोड़ झालावाड़	94139-80110
19	झालावाड़	श्री देवकीनन्दन सुमन	56, रंग विहार, महावीर नगर-III, कोटा	94139-43436
20	जोधपुर	श्री शिवदत्त आर्य	गुर्जरों का बास, राजेन्द्र नगर, जालोर	94145-44340
21	फलोदी	श्री रूपाराम रलिया	प्लॉट-50, सारण नगर, 'सी' रोड़, खसरा-55, बनाड़ रोड़ जोधपुर, जिला जोधपुर, राजस्थान	95714-38551
22	जैसलमेर	श्री मोहन सिंह भाटी	358, मोहन नगर, बी.जे.एस.कॉलोनी, जोधपुर	98291-34864
23	बालोतरा	श्री नरेश सोलंकी	प्लॉट नं. 637, दिलीप नगर, लाल सागर, पोस्ट-मगरा पूंजला, जिला जोधपुर-342004	94141-24687
24	बाड़मेर	श्री राणीदान सिंह भुट्टो	भुट्टो की ढाणी, रामदेवरा, जैसलमेर (राज.)	94626-93485
25	पाली	श्री सतीशचन्द शर्मा	131-ए, सुमित्रा सदन, वार्ड-20, सरकारी स्कूल के पीछे, गांधी नगर, आबू रोड़, जिला सिरोंही	99280-91643
26	सिरोंही	श्री अम्बिका प्रसाद तिवारी	8, कंसरनाथ कॉलोनी, आशापूर्णा के पास, जालोर	94608-84471
27	जालोर	श्री अमरजीत सिंह राठौड़	शिवगढ़, ग्रा.पो.निम्बाज, जिला पाली	99504-93886
28	चूरु	श्री सम्पत सिंह	डॉ.संतोष बाटड़ के सामने, सिंहानियां कॉलोनी, पिपराली रोड़, सीकर	94133-44625
29	सीकर	श्री कृष्ण कुमार सैनी	नया बास, वार्ड-11, चूरु	94623-60999
30	झुंझूनू	श्री श्याम सुन्दर स्वामी	रघुनाथ मन्दिर, मु.पो.दांतारामगढ़, जिला सीकर-332703	95711-32623
31	बीकानेर	श्री सुरेश व्यास	शान्तानिकेतन, रतानी व्यासों का चौक, बीकानेर	96671-31770
32	श्रीगंगानगर	श्री संजय कुमार शर्मा	80, सैक्टर-6-एल, बी.एस.एन.एल. के पास, हनुमानगढ़, राजस्थान	94602-04615
33	हनुमानगढ़	श्री हरीश शर्मा	वार्ड-22, सरदारपुरा बास, नोहर, जिला हनुमानगढ़	94145-11858
34	उदयपुर प्रथम	श्री रमेशचन्द पुष्करणा	मु.पो. बोहेड़ा, तह. बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़	94600-57712
35	उदयपुर द्वितीय	श्री गोपाल लाल शर्मा	अस्पताल के पीछे, स्टेशन गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़	94139-62473 99839-40541
36	बांसवाड़ा	श्री उमपराव लाल वर्मा		94148-52027
37	डूंगरपुर	श्री अभय सिंह राठौड़	135, अरिहंत विहार, काली कल्याण धाम के पास, आकाशवाणी के सामने, मादड़ी पुरोहितान रोड़, उदयपुर	94148-30984
38	चित्तौड़गढ़	श्री नटवर लाल पांचाल	59, न्यू कालोनी, सबीना, उदयपुर - 313002	94143-52597
39	प्रतापगढ़	श्री राजकुमार लौहार	सी .4 हवामगरी सैक्टर 14 गोवर्धन विलास, उदयपुर	94600-82596
40	राजसमन्द	श्री राजेन्द्र सिंह सांरगदेवोत	62, मीरा नगर, पुराना आर.टी.ओ. प्रताप नगर, उदयपुर	98297-44478


 (महावीर प्रसाद सिंघल)
 संयोजक
 प्रदेश चुनाव समिति